राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग

IT/1658
212

कमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/172/2021/527 दिनांकः– 01-02-2021

परिपत्र

कतिपय इकाईयों द्वारा निगम के कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित/परिवार के सदस्यों द्वारा 50.00 लाख रूपये अनुग्रह राशि की मांग किये जाने पर प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प.12(3)वित्त(नियम)/2014 दिनांक 11.04.2020 एवं प.12(3)वित्त(नियम)/2014 दिनांक 27.04.2020 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोरोना संकमण की रोकथाम से सम्बन्धित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संकमण के कारण इलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित/परिवार को रूपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि देय होगी।

अतः समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि निगम कर्मचारी की कोरोना संकमण की रोकथाम से सम्बन्धित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संकमण के कारण इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर ही उसके आश्रित/परिवार को रूपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि दिये जाने की अनुशंषा पूर्ण परीक्षण पश्चात ही मुख्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित् करावें।

29/1/2021
(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

कमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/172/2021/527 दिनांकः– 01-02-2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.......................................।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
10. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(राज कुमार)
महा प्रबन्धक (वित्त)